

**निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर ।**

क्रमांक : एफ 24 ( ) लेखा-ए/अनु/निकाशि/ 2011-12/ 1531-1661 दिनांक - 07.02.2012

सचिव,  
प्रबन्ध समिति,  
समस्त अनुदानित महाविद्यालय।


विषय :- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस.एल.ए. (सिविल) नं. 10227/2009 में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2011 के क्रम में।

संदर्भ :- इस कार्यालय का समसंख्यक पत्रांक 1365-1435 दिनांक 26.12.2011.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस.एल.ए. (सिविल) नं. 10227/2009 में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2011 की पालना में प्रपत्र सं. 1 से 3 में वांछित सूचना दिनांक 30.01.2012 तक चाही गई थी। परन्तु नियम दिनांक तक कुछ संस्थाओं के द्वारा ही सूचनाएं प्रस्तुत की गई हैं। जिनमें से अधिकांश सूचनाएं अपूर्ण प्रस्तुत की गई हैं।


अतः सभी संस्थाओं को एक और अवसर प्रदान करते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि विभाग द्वारा वांछित सूचनाएं दिनांक 20.02.2012 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करावें। नियत दिनांक तक सूचना प्रस्तुत नहीं की जाने की स्थिति में समस्त दायित्व संस्था प्रबन्धन का होगा।

  
मुख्य लेखाधिकारी  
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ 24 ( ) लेखा-ए/अनु/निकाशि/ 2011-12/1662-67 दिनांक - 07.02.2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव निदेशक कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
3. उप विधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (अनुदान) कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
5. श्री धीरेन्द्र देवर्षी, व्याख्याता को वॉबसाइट पर अपलोड करने हेतु
6. रक्षित पत्रावली।

  
मुख्य लेखाधिकारी  
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर